नया बाजार, दिल्ली में विस्फोट

*235. **श्री कृष्ण कुमार बिरला :**
मौलाना अबदुल्ला खान आजमी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 29 अप्रैल, 1992 को नया बाजार, दिल्ली में अनेक विस्फोट हुए ;

(ख) यदि हां, तो उनके कारण जान-माल की कितनी हानि हुई ;

(ग) क्या इस मामले में कोई जांच करवाई गई है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ;

(घ) गत 6 महीनों के दौरान दिल्ली में हुए इस प्रकार के मामलों का ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) सरकार ने भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

गृह मंत्री (श्री एस०बी० चव्हाण): (क) दिनांक 29-4-1992 को नया बाजार में एक विस्फोट हुआ था ।

(ख) 43 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और 23 व्यक्ति घायल हुए । तीन मकान ढह गए और आस-पास की कुछ इमारतों को नुक्सान पहुंचा । दिल्ली अग्नि शमन सेवा ने अनुमान लगाया है कि करीब 28.5 लाख रुपये की सम्पत्ति की हानि हुई है ।

(ग) उप-राज्यपाल ने इस मामले की मजिस्ट्रेट द्वारा जांच के आदेश दिए हैं ।

(घ) दिल्ली पुलिस ने सूचना दी है कि पिछले छः महीनों के दौरान दिल्ली में ठीक ऐसी ही कोई घटना नहीं हुई है । फिर भी, दिनांक 1-11-1991 से 30-4-1992 तक की अवधि में दिल्ली में बम विस्फोट की नौ घटनाएं हुई हैं ।

(ङ) पुराने शहर में भीड़-भाड़ कम करने और थोक-व्यापार को दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में स्थानान्तरित करने के उद्देश्य से जी०टी० करनाल रोड पर संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर का विकास किया गया है, जहां कई ट्रांसपोर्ट कम्पनियां, खास-तौर गोदाम, स्थानान्तरित हो सकते हैं । कई ट्रांसपोर्ट कम्पनियां वहां चली गई हैं और अन्य कई वहां जाने की प्रक्रिया में हैं । कुछ समय पहले दिल्ली प्रशासन ने निर्णय लिया था कि दिनांक 1 जून, 1992 से पुराने शहर के कुछ निश्चित क्षेत्रों में भारी सामान और भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा । विस्फोट होने के कारण का अभी स्पष्टतः पता लगाया जाना है ।

Working of Visakhapatnam Port

*236. SHRI M. M. HASHIM: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under Government's consideration to improve the working of Visakhapatnam Port;

(b) whether there has been a steady deterioration in the management of this Port during the last three years;

(c) what is the existing mechanism in the Port to have frequent interaction with users and prospective users;

(d) whether it is a fact that the Port management is not responsive to the small entrepreneurs; and

(e) if so, what steps Government propose to take to have more open system of management in this Port?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

(c) Daily operation meetings are held by Traffic Manager with traders. Fortnightly and monthly meetings are held by Chairman/Deputy Chairman with traders and prospective users to

discuss operational problems and to take remedial measures.

(d) Does not arise in view of (c) above.

(e) Does not arise.

उत्तर प्रदेश में रेल सेवाओं में सुधार

*237. **मौलाना अबेदुल्ला खान आजमी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991 तथा 1992 के वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में रेल सेवाओं के विस्तार तथा सुधार के लिए सरकार को प्राप्त हुए आवेदनों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) उनमें किये गये अनुरोधों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गयी है ;

(घ) क्या इसी अवधि के दौरान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रेल सेवाओं के विस्तार तथा सुधार के संबंध में भी कुछ आवेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री श्री (सी. के. जाफर शरीफ) : (क) से (ङ) रेल सेवाओं में सुधार के संबंध में उत्तर प्रदेश सहित देश भर से बहुत से अभ्यावेदन विभिन्न स्तरों पर, यथा रेल मंत्रालय, क्षेत्रीय रेल मुख्यालय, मंडल कार्यालय, स्टेशन स्तर पर एवं रेल अधिकारियों के फील्ड दौरों के दौरान प्राप्त होते है, प्राप्त होने वाले अभ्यावेदनों की संख्या इतनी अधिक है कि सभी आंकड़ों का संकलन करना व्यावहारिक नहीं है । बहरहाल, जैसे ही अभ्यावेदन प्राप्त होते है उन सब विधिवत जांच की जाती है और जहां व्यावहारिक समझा जाता है, उपयुक्त कार्रवाई की जाती है ।

Re-imbursement of expenditure incurred on Family Planning Programmes

*238. SHRI V. NARAYANASAMY:
SHRI SURESH PACHOURI:

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether the implementation of the family planning programmes by different States and the Union Territories has been seriously hampered for want of funds;

(b) whether it is a fact that the disbursement of funds to the State Governments by way of re-imbursement of the expenditure incurred by the State Governments is in huge arrears;

(c) if so, what are the details thereof; and

(d) what steps have been taken by Government to clear the arrears and to provide adequate funds to the State Governments for implementing the family planning programmes?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI M. L. FOTEDAR): (a) to (d) The Family Welfare Programme has been a 100 per cent Centrally sponsored scheme since its inception. While the entire funding is provided by the Central Government, the State Governments and the Union Territories Administration have the responsibility of implementing the Programme under the broad national policy framework and norms laid down for the purpose. While provision for the funds required for the Programme is made by the State Governments in their budget, matching grants-in-aid, based on approved norms and yardsticks, are to be released by the Central Government on an annual basis. However, due to the financial constraints, the Central budget does not always have adequate provisions for meeting the full requirements of State Governments for providing the matching grants-in-aid. In the event of the